**Alleged irregularities in the construction of Agatti Airstrip**

2345. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction of the Agatti airstrip at Lakshadweep has resulted in a huge lost due to the irregularities in the award of contract and manipulation by cretain officials of the International Airports Authority of India;

(b) if so, what is the total loss suffered by the IAAI on the construction of the airstrip; and

(c) what is the outcome of the inquiry, if any, made by Government into the causes for the loss and the alleged involvement of the officials of the IAAI stating the action taken/proposed to be taken by Government in the Matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) No, Sir. The project was executed by IAAI at an overall cost of Rs. 6.61 crores against the estimated cost of Rs. 692 crores through N.B.C.C., which is a Government of India undertaking.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

**गुना-इटावा के बीच रेल लाइन**

2346. **श्री अजीत जोगी :**

**श्री पप्पी माझी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना से इटावा के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने के प्रस्ताव पर सरकार कब से विचार कर रही है और इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था;

(ख) गुना-इटावा और इदौर-गोहद के बीच रेल लाइनें बिछाये जाने के प्रस्ताव रेल मंत्रालय और योजना आयोग के समक्ष कब से लम्बित है; और

(ग) क्या इन रेल लाइनों के लिए अनुमोदन देते समय क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)** : (क) यह प्रस्ताव 1980 से विचाराधीन था और 1985-86 में अनुमोदित किया गया था।

(ख) गुना-इटावा नयी लाइन का प्रस्ताव फरवरी, 1985 में और दाहोद इदौर का जुलाई, 1986 में योजना आयोग को भेजा गया था।

(ग) नयी लाइन परियोजनाएं सामान्यतः यातायात आवश्यकताओं पर विचार के बाद अनुमोदित की जाती हैं।

**जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन का बदला जाना**

2347. **श्री अजीत जोगी :**

**श्रीमती रत्न कुमारी :**

क्या रेल मंत्री 30 नवम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2294 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोंदिया मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के सम्बन्ध में किया गया पुनःमूल्यांकन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सकलरोलरर इस इन को प्रायमिकता के आधार पर बदलने का विचार रखती है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

**Advertisement of cigarette in Swagat Magazine without statutory warning**

2348. SHRI PRAMOD MAHAJAN:

SHRI JOHN F. FERNANDES:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Swagat Magazine of Indian Airlines contains advertisement of foreign brand cigarettes without any statutory warning as required for local brand cigarettes;

(b) whether it is also a fact that such an advertisement of 555 cigarettes appeared on back page of Swagat Magazine issue of February 89, without the statutory warning;

(c) what are the reasons for this discrepancy; and

(d) whether Government propose to take action against the erring officials?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL):

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The statutory warning is carried on the cigarette packets manufactured in India only. The question of whether there is any violation of law advertising foreign made brands of cigarettes in the Swagat without carrying the statutory warning is being examined, in consultation with appropriate authorities.

**भोजन यानों के प्रबन्ध का ठेका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिया जाना**

2349. श्री ईश दत्त यादव:

चौधरी राम सेवक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन 115/116 और 933/934 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भोजन यान चलाने का ठेका दिये जाने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नजरन्दाज किया गया है और यह ठेका एक पाकेट को-आपरेटिव सोसाइटी को आबंटित किया गया है जो कि एक स्थानीय छोटी सी, अनुभवहीन नई और आर्थिक दृष्टि से कमजोर सोसाइटी है, यदि हां, तो क्या यह रेलवे बोर्ड का खुला उल्लंघन है;

(ख) उक्त चार भोजन यानों को चलाने का ठेका चार अलग-अलग आवेदकों को न दिए जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि 933/934 और 509/510 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय पूर्वोत्तर रेलवे के पास कोई भी भोजन यान डिब्बा उपलब्ध नहीं है और इसके उपलब्ध होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय लग जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त आबंटन से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था; और

(ङ) क्या सरकार इस अवैध आबंटन की जांच रेलवे बोर्ड के आसूचना (इंटेलिजेन्स) विभाग द्वारा करवाने का विचार रखती है?